संचिका संख्या–14/मु013–597/2013........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

संकल्प

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश संख्या 12101/13 मो0 जाहिद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 18.04.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के कम में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग एवं विघटित अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के न्यूनतर वेतनमान के पदो पर सामंजित पदाधिकारियो एवं कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में उनके पैतृक संस्थान मे प्रथम नियुक्ति के वेतनमान को आधार मानते हुए दिनांक–01.01.1996 को वेतनमान 5500–9000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600 तथा वेतनमान 4000–6000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे–2400 एवं तदनुरूप ए0सी0पी0 आदि का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय आदेश संख्या–4092 दिनांक–21.11.2011 एवं 1115 दिनांक–20.06.2013 के द्वारा विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग/बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग एवं अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के कर्मियों का समायोजन किया गया था। इन कर्मियों में से कुछ कर्मियों को उनके आयोग/बोर्ड के समकक्ष पद एवं वेतनमान में सामंजित किया गया, जबकि कुछ कर्मियों को समकक्ष पद की अनुपलब्धता की स्थिति में न्यूनतर वेतनमान के पद पर सामंजित किया गया है तथा न्यूनतर वेतनमान में वेतन संरक्षित किया गया। वेतन संरक्षण के बाद भी इनका वेतन आयोग/बोर्ड में कार्यरत अवधि में अनुमान्य वेतन से राज्य सरकार के सेवा में योगदान की तिथि को प्राप्त वेतन कम हो रहा था।

2. उपर्युक्त उल्लिखित कारणो से प्रभावित कर्मियो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No-12101/2013 मो0 जाहिद एवं अन्य– बनाम –राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–18.04.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग एवं विघटित अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के न्यूनतर वेतनमान के पदो पर सामंजित पदाधिकारियो एवं कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में उनके पैतृक संस्थान मे प्रथम नियुक्ति के वेतनमान को आधार मानते हुए दिनांक–01.01.1996 को वेतनमान 5500–9000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4600 तथा वेतनमान 4000–6000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे–2400 एवं तदनुरूप ए0सी0पी0 आदि का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(मनोज कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14 / मु013–597 / 2013............... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः–अधीक्षक गुलजारबाग प्रेस पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के आगामी अंक में इसे प्रकाशित कर 100 (सौ) प्रतियां उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0 / –
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14 / मु013–597 / 2013............... पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–14 / मु013–597 / 2013.....702 पटना, दिनांक–08/06/ 2018

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / प्रधान सचिव वित विभाग के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / अपर सचिव, शिक्षा विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक / सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला भविष्य निधि कार्यालय / सभी संबंधित जिला लेखा (वित) पदाधिकारी / निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग / निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्व मार्ग पटना / निदेशक, के0 पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना / प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग एवं गर्दनीबाग, पटना / निदेशक मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एव शोध संस्थान, वैशाली दरभंगा / निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, पटना / निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, पटना / निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना / उप निदेशक, प्रशासन, शिक्षा विभाग / अवर सचिव, शिक्षा विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–04, 14, एवं 15 तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/6/18
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव